FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत संभागीय आयुक्त, मुकाम जयपुर

कैलाशी देवी बनाम सरपंच ग्राम पं. गोहन्दी

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 76 एल. आर.एक्ट** अपील जीसीएमएस संख्या **2024 / 120**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.04.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अपील सहबन से गलत प्रस्तुत करने पर वापस लौटाने जाने बाबत् निवेदन किया। अपीलांट के प्रार्थना पर एवं पत्रावली पर मनन करने पर उपरोक्त उनवानी अपील उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा जिला जयपुर के अंतरिम आदेश दिनांक 10.10.2023 के विरूद्ध पेश की गई है। अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में मेण्टेनेबल नहीं होने से अपील वापिस सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु लोटाया जाना न्यायोचित है। अतः आदेश है कि अपील अपीलांट को सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु वापस लोटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील पत्रावली जाप्ता दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया। (डॉ. आरूषि मलिक) संभागीय आयुक्त जयपुर	मूल पत्रावली मय दस्तावेजात प्राप्त किया 11/5/24 सत्यनारायण R-2956/08